मस्जिद की शरई हैसियत

मस्जिद की शरई हैसियत के सम्बन्ध में फ़िक़्ह अकेडमी के 13वें सेमिनार (13-16 अप्रैल 2001 ई0, कटोली, लखनऊ) मे आम सहमति से निम्न प्रस्ताव पास किया गयाः

मस्जिद की स्थिति के सम्बन्ध में इस्लाम का यह दृष्टिकोण पूरी तरह स्पष्ट है और पूरी उम्मत इसपर समहत है कि जिस जगह पर (जाइज़ तरीक़े से) एक बार मस्जिद बना दी गयी वह क़यामत तक के लिए मस्जिद है। उस जगह को न खरीदा और बेचा जा सकता है, न वह जगह किसी को भेंट की जा सकती है और न कोई व्यक्ति या सरकार उस का स्वरूप बदल सकती है। मस्जिद मूल रूप से उस जगह का नाम है जिसे एक बार मस्जिद के लिए वक़्फ़ कर दिया गया हो, मस्जिद के दर व दीवार, उसकी इमारत और उसमें इस्तेमाल होनेवाली निर्माण सामग्री को मस्जिद नहीं कहा जाता। इसलिए अगर मस्जिद की इमारत ढह जाए या उसे बलपूर्वक ध्वस्त कर दिया जाए या किसी वजह से लम्बे समय तक वहां नामज़ न पढी जाए तब भी वह जगह मस्जिद ही रहती है और उसे फिर से आबाद करना शरीअत की रूह से मुसलमानों की लाज़मी दीनी ज़िम्मेदारी है।

मस्जिद का मक़सद क़ायनात (सृष्टि) के वास्तविक रचियता और मालिक की इबादत, और उसके सिवा अन्य वस्तुओं व हस्तियों (ग़ैरुल्लाह) की इबादत को नकारना हैं इसलिए मस्जिद की ज़मीन पर बुतखाना बनाने की इजाज़त किसी हाल में भी नहीं दी जा सकती। ऐसा करना मस्जिद के असल मक़सद के विपरित होगा और यह बात केवल धर्म और आस्था के ही नहीं बल्कि विवेक और बुद्धि के भी ख़िलाफ़ होगी।

इस्लाम दुनिया में तौहीद (एकेश्वरवाद) का ध्वजावाहक है और पूरी मानवता को इस सच्चाई की तरफ बुलाता है कि इस कायनात का सृष्टा और पालनहार एक सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है, जिसका कोई साझीदार नहीं। इस्लाम हमें न्याय और उदारता की शिक्षा देता है, वह धर्म के मामले में ज़ोर ज़ब्रदस्ती को मान्यता नहीं देता। इस्लाम ने अपने मानने वालों को इस बात से रोक दिया है कि किसी व्यक्ति या वर्ग की निजी अथवा सामूहिक व धार्मिक ज़मीन का अतिक्रमण करके उसपर मस्जिद बनाई जाए। इसलिए न केवल एतिहासिक तथ्यों के आधार पर बल्कि अक़ीदे और इस्लामी इतिहास के आधार पर भी यह आरोप ग़लत है कि मुसलमानों ने किसी समुदाय की ज़मीन या पूजा स्थल पर क़ब्ज़ा करके कोई मस्जिद बनाई हो।

इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी का यह सेमिनार सर्वसम्मति से यह स्पष्ट करता है कि बाबरी मस्जिद या किसी दूसरी मस्जिद के बारे में ऐसा कोई समझौता शरीअत के अनुसार बिल्कुल जायज़ नहीं होगा जिसका मक़सद मस्जिद की हैसियत को बदलना या उसे बुतखाना बनाना हो। यह मुसलमानों के सभी वर्गों का सर्वसम्मत फ़ैसला है।

☆☆☆